20रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. 1रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

366

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1. रामप्रसाद 2. नारायणदास 3. गोवर्धन 4. छोटेलाल 5. दरयाव 6. राममिलन

तनय सभी श्री सरजू लोधी सभी निवासी ग्राम मोने का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

........निगरानी कर्ता/आवेदकगण

बनाम

निग0 3030-I/16

1. भगवानदास तनय भल्लू लोधी
2. हीरालाल तनय भल्लू लोधी
3. मथरा तनय भल्लू लोधी
4. गनेश तनय लब्बू लोधी

सभी निवासी मोने का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ ....उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

निगरानी/आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना हैं।

<u>यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क0/35/अपील/2015-2016 के आदेश दिनांक 21/07/2016 से परिवेदित (दुखित) होकर श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत की हैं।</u>

प्रकरण का विवरण

1. यह कि उत्तरवादी क0 1 से लगायत 3 तक के पिता भल्लू तनय रल्ली लोधी को ग्राम डारगुवा में

स्थित खसरा नं0 396/2/3 रकवा 0.405 हे0 भूमि का शासकीय पट्टा नायव तहसीलदार के प्रकरण क0 535/अ/19(4) वर्ष 1994-95 के आदेश दिनांक 09/01/1995 के अनुसार उपरोक्त भूमि का पट्टा प्रदान किया था। शासन द्वारा पट्टा धारी को पट्टा इस शर्त पर दिया गया था कि उपरोक्त पट्टा प्रदाय जमीन बिना शासन की अनुमति के विक्रय नही की जावेगी

2. यह कि नायव तहसीलदार के प्रकरण क0 535/अ/19(4) वर्ष 1994-95 के आदेश दिनांक 09/01/1995 के विरूद्व निगरानी कर्ता गणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय वल्देवगढ़ के यहॉ अपील प्रस्तुत की अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रकरण को गुण-दोषों पर न सुनकर म्याद समय सीमा से बाहर मानकर निगरानी कर्ता की अपील निरस्त कर दी जिसके विरूद्व मे निगरानी कर्ता गणों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की हैं।

निगरानी के आधार

1. यह कि उत्तरवादी क0 1,2,3 के पिता भल्लू लोधी तनय रल्ली लोधी को दिनांक 09/01/1995 को जो पट्टा विचारण न्यायालय तहसीलदार (शासन) द्वारा प्रदाय किया गया था तभी से बिना किसी समस्या बिना किसी आपत्ती के निगरानी कर्तागण परिवार सहित काविज हैं

P.T.O.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3030-एक/2016 जिला टीकमगढ़ रामप्रसाद विरूद्ध भगवानदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

21.01.19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य